सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–3814(1)/3–3–2006–149एल.ए./06

प्रेषक,

के0 एल0 मीना
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मै0 सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.,एन–49, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

2– मै0 उप्पल एण्ड चढ्ढा हाईटक डेवलपर्स प्रा. लि.,एस–39 ए, पंचशील पार्क, नई–दिल्ली–17

3– मै0 यूनिटेक वाराणसी हाईटेक टाउनशिप लि0, द्वितीय तल, तुलसी काम्पलेक्स, शास्त्री नगर, सिगरा, वाराणसी।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2006**

विषय : हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में उ.प्र. जमींदारी विकाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा–154(2) के अन्तर्गत छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाईटेक टाउनशिप नीति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–2915/8–1–06–45विविध/2006टीसी दिनांक 18–5–2006 के प्रस्तर–6.13 की व्यवस्थानुसार शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक निांक 4–9–2006 में उ.प्र. जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा–154(2) के अन्तर्गत हाईटेक टाउनशिप हेतु चयनित कम्पनियों में से निम्नलिखित 04 विकासकर्ता कम्पनियों को प्रत्येक को 1500 एकड़ तक भूमि के परिप्रेक्ष्य में छूट का निर्णय लिया गया है :–

क्र0सं0	विकासकर्ता कम्पनी	जनपद
1–	मै0 सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	मथुरा
2–	मै0 सनसिटी हाईटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	गजियाबाद
3–	मै0 यूनीटेक लि.	वाराणसी
4–	मै0 उप्पल एण्ड चढ्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा. लि.	गाजियाबाद

2– उ.प्र. जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा–154(2) से उक्त छूट निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन देय होगी :–

1— भूमि का उपयोग किसी भी दशा में स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा तथा भूमि का कोई भाग किसी अन्य संस्था को समान व अन्य प्रयोजन के लिए हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

2— विकासकर्ता कम्पनी द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु निर्धारित नीति जिसमें सम्पादित एम. ओ.यू. तथा डी.पी.आर. सम्मिलित है, में उल्लिखित शर्तो/निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा तथा विकसित भूमि का ही विक्रय किया जायेगा।

3— भू—अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास, भारत सरकार द्वारा निर्गत पुनर्वास नीति जिसे राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है, के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

कृपया भूमि अर्जन के संबंध में उपर्युक्त शर्तो के अधीन आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

के0 एल0 मीना

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2— मण्डलायुक्त, वाराणसी, मेरठ एवं आगरा मण्डल।

3— उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, वाराणसी एवं मथुरा।

4— निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

5— जिलाधिकारी, गाजियाबाद, मथुरा, वाराणसी।

6— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

शिवजनम चौधरी

अनुसचिव